UPRN010033272026

:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1

कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 1273/2026

चन्द्र किशोर उर्फ पप्पू उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व 0 नरायन निवासी ग्राम दहेलिया थाना शिवराजपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर

------**अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु0 अ 0 सं0–92/2026

धारा– 103(1) बी0 एन 0 एस 0

थाना– शिवराजपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

दिनांक – 02.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रकिशोर उर्फ पप्पू की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–92/2026 धारा 103(1) बी0 एन 0 एस 0 थाना शिवराजपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में कुछ इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मिथलेश कुमार ने अपनी बहन मंजू देवी का विवाह सन 1997 में पप्पू चमार से हिन्दू रीति रिवाज के साथ किया था। वादी की बहन कई बार बहनोई पप्पू की शिकायत वादी से करती रही कि बहनोई पप्पू शराब पीकर आता है और घर में मारपीट करता है। वादी ने अपनी बहन को समझा बुझाकर मामला शान्त कराता रहा परन्तु दिनांक 22.4.2026 की रात्रि लगभग 12 बजे के बाद बहनोई पप्पू शराब पीकर आया और बहन मंजू देवी से मारपीट करने लगा। बहन के विरोध करने पर बहनोई ने लकड़ी के डण्डे से बहन मंजू देवी के सिर पर कई वार कर दिए जिससे बहन की मौके पर मौत हो गयी। कत्ल में प्रयुक्त् लकड़ी का डण्डा प्राप्त हो गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे संदेह के आधार पर उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। घटित घटना दिनांक 22.4.2026 की रात्रि 12–बजे की बताई गयी है जिसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। लकड़ी के डण्डे से मारपीट का आरोप झूठा लगाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखते थे, कभी झगड़ा फसाद नही करता था। प्रार्थी/अभियुक्त को

झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अतः उक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी मंजू की हत्या डण्डे स पीट–पीट कर निर्मम तरीके से की गयी है तथा हत्या के बाद हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया था जो बाद में फोरेन्सिक टीम द्वारा घटनास्थल से बरामद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी की हत्या करने के उपरान्त कपड़े को बदलकर साफ–सुथरे कपड़े पहन कर फरार हो गया है। काफी मश्कत के बाद अभियुक्त् को गिरफतार किया गया है तथा उसे रक्त रंजित कपड़े बरामद किए गए है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त के उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सम्बन्धित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले की चोट रिपोर्ट केस डायरी के साथ संलग्न है। जिसमे मृतक की चोटों की डिटेल डाक्टर द्वारा अंकित की गयी है।

1–LACERATED WOUND 5CMX 2CM IN TO BONE deep on left side of skull, 6cm above left ea, underlying bone fractured.

2– LACERATED WOUND 6CMX 2CM on left side of face up to left ear bone deep underlying bone fractured.

3– LACERATED WOUND 4CMX 1CM in to bone deep angle of left mandible up to left ear underlying bone fracture.

4– LACERATED WOUND 3CMX 2CM in to bone deep, left side face 1 cm below angle of left eye underlying bone fractured.

5– CONTUSION 13 CM X 8 CM. Front of neck on D/s hematoma present underlying right side hyoidbone Fractured.

6– LACERATED WOUND5CMX 2CM in to bne deep on dorsum of right han.

7– LACERATED WOUND 6CMX 1CM on dorsum of right hand up to middle finger.

प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को पीट–पीटकर हत्या किए जाने का अभियोग लगाया गया है, साथ ही डाक्टर द्वारा मृतका के शरीर पर गम्भीर सात चोटें भी डाक्टर द्वारा अवलोकित की गयी हैं।

मामला गम्भीर प्रकृति का है। अपराध की प्रकृति व मृतका के शरीर पर आई चोटों

को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्र किशोर उर्फ पप्पू की ओर से मु0 अ 0 सं0–92/2026 धारा– 103(1) बी0 एन 0 एस 0 थाना– शिवराजपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रजत सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 यू0 पी0–6042